"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 191] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई 2003—श्रावण 7, शक 1925

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 29 जुलाई 2003

क्रमांक 8476/वि. स./विधान/2003.—छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 22 सन् 2003) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

संतोष कुमार खरे
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 22 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्रमांक 30 सन् 1936) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (एक) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अधिनियम, 2003 है.

(दो) यह दिनांक 1 मई, 2003 से प्रभावशील होगा.

धारा 3 का संशोधन.

2. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में शब्द ''पचहत्तर प्रतिशत'' के स्थान पर शब्द ''तीस प्रतिशत'' प्रतिस्थापित किया जाये, तथा

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित पैरा, अंतःस्थापित किये जायें, अर्थात् :–

(एक) 25 हजार (पच्चीस हजार) जनसंख्या तक के स्थानों में स्थित छविगृहों को मूल अधिनियम की धारा 3 (1) के प्रवर्तन से मुक्त रखा जायेगा.

(दो) छत्तीसगढ़ी बोली में निर्मित फिल्म को मूल अधिनियम की धारा 3 (1) से मुक्त रखा जायेगा.

मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक का लोप किया जाए एवं इसके स्थान पर निम्न परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परन्तु यह और भी कि चलचित्र के प्रदर्शन सिनेमा हॉल में किये जायें वहां उन व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया गया है, सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश के लिए भुगतान के आधार पर जैसा कि कलक्टर द्वारा अवधारित किया जाए, निम्न सारणी में दर्शित राशि से अनधिक किसी राशि पर शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा.''

सारणी

अनु. क्र.	सिनेमा का प्रकार	सेवा शुल्क की दरें (रुपये में) प्रति टिकिट
1.	साधारण सिनेमा हॉल	रु. 2/-
2.	एयर कूल्ड डाल्बी, डी. टी. एस.	रु. 3/-
3.	एयर कंडीशन्ड, डाल्बी, डी. टी. एस.	रु. 4/-

धारा 4 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) का लोप किया जाये.

निरसन.

4. छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश (क्रमांक 2 सन् 2003) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

उद्देश्य और कारणों का कथन

विधान सभा सत्र फरवरी-मार्च, 2003 के दौरान माननीय वित्त मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2003-04 के लिए प्रस्तावित बजट में घोषणा की गई थी कि, सिनेमाघरों में छविगृह स्वामियों के लिए मनोरंजन की दर पचहत्तर प्रतिशत से घटाकर तीस प्रतिशत की जावेगी, साथ ही यह भी घोषणा की गई थी कि 25 हजार जनसंख्या तक के स्थानों पर मनोरंजन शुल्क देय नहीं होगा तथा छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ''छत्तीसगढ़ी बोली में निर्मित फिल्म'' को मनोरंजन कर से मुक्त रखा जायेगा. यह घोषणा भी की गई थी कि सिनेमाघरों में दर्शकों को अत्याधुनिक विकसित प्रणाली की सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु, सिनेमा हॉल के प्रकार के अनुसार सुविधा शुल्क में वृद्धि की जायेगी.

यह भी घोषणा की गई थी कि इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रचलित मनोरंजन कर की कम्पोजिशन प्रथा को समाप्त किया जायेगा.

2. माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा की गई उपरोक्त घोषणाओं की क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 (क्र. 30 सन् 1936) की धारा 3 एवं 4 में संशोधन किया जाना आवश्यक था. चूंकि, तत्समय विधान सभा सत्र समाप्त हो चुका था तथा निकट भविष्य में विधान सभा सत्र शीघ्र आहूत न होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, विभाग द्वारा उक्त घोषणाओं को विधेयक के रूप में तैयार किया जाकर विधान सभा में प्रस्तुत कर पारित कराया जाना संभव नहीं था. अतः माननीय वित्त मंत्री जी की घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति से ''छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 2 सन् 2003)'' प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर ''छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2003'' पुरःस्थापित किया जाना है.

3. अतएव विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर :

तारीख 25 जुलाई, 2003

रामचन्द्र सिंहदेव
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

धारा 3 की उपधारा (1) सिनेमा के मालिक द्वारा देय मनोरंजन शुल्क :

(1) वीडियो कैसेट रिकार्डर (जो इसमें इसके पश्चात् वी. सी. आर. के नाम से निर्दिष्ट है) या वीडियो कैसेट प्लेयर (जो इसमें इसके पश्चात् वी. सी. आर. के नाम से निर्दिष्ट है) या किसी केबल आपरेटर द्वारा मनोरंजन से भिन्न किसी मनोरंजन के प्रत्येक मालिक द्वारा मनोरंजन में प्रवेश के लिए प्रत्येक भुगतान के संबंध में, राज्य सरकार को उस भुगतान के पचहत्तर प्रतिशत की दर से शुल्क का भुगतान करेगा.

परन्तु यह और भी कि चलचित्र के प्रदर्शन सिनेमा हॉल में किए जाएं वहां उन व्यक्तियों को, जिन्हें उक्त सिनेमा हॉल में प्रवेश दिया गया है, सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रवेश के लिए भुगतान के आधार पर कलेक्टर द्वारा यथा अवधारित दो रुपये प्रति टिकिट से अनाधिक किसी राशि पर शुल्क उद्गृहित नहीं किया जायेगा.

धारा 4 की उपधारा (2) का खण्ड (डी) : धारा 3 के अधीन प्रभार्य शुल्क के बदले में नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित पद्धति

के अनुसार संगणित के ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी विहीत की जाए, प्रशमन द्वारा :

सारणी

अ. क्र.	स्थान की जनसंख्या	प्रशमन किया गया शुल्क
(1)	(2)	(3)
1.	25,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 20 प्रतिशत
2.	25,001 से 50,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 25 प्रतिशत
3.	50,001 से 1,00,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 30 प्रतिशत
4.	1,00,001 से 3,00,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 35 प्रतिशत
5.	3,00,001 से 5,00,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 40 प्रतिशत
6.	5,00,001 से 10,00,000 तक	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 45 प्रतिशत
7.	10,00,000 से ऊपर	बैठने की पूर्ण क्षमता पर संगणित मनोरंजन शुल्क का 50 प्रतिशत

परन्तु प्रशमन किए गए शुल्क की रकम की कालम (3) में उल्लिखित दरों पर संगणना उन खेलों की संख्या को विचार में लाये बिना, जो उस मासल से प्रदर्शित किए जाएं, एक मास में केवल 90 खेलों के लिए की जाएगी.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.